न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–86/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजोबाई पुत्री दयालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रसगण तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 हाल छोटा चक्का तहसील सिरसा, जिला सिरसा –हरियाणा ।

.....प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1. असरफी पत्नि हनीफ जाति मेव,
2. हनीफ पुत्र जुहरू जाति मेव निवासीान ग्राम रसगण तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 – वादीगण
3. मैमूना पत्नि श्री अकबर खां जाति मेव निवासी ग्राम रसगण तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 – प्रतिवादी

..... असल रेस्पो0

4. तहसीलदार भू0अ0 रामगढ़ ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री राकेश यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. असल रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–12.12.2017

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 507 रकबा 0.33, 509 रकबा 0.46, 561 रकबा 0.19, 562 रकबा 0.40, 565 रकबा 0.37, 572 रकबा 0.31, 591 रकबा 0.42, 1548 रकबा 0.67, 261 रकबा 0.56, 88 रकबा 0.28 कुल किता 10 रकबा 3.99 है0 वाके ग्राम रसगण तहसील राजगढ़ में स्थित है को तकसीम होने से पूर्व किसी भी प्रकार से असल प्रतिवादीगण रहन, बय, हिबा व अन्य प्रकार से अन्तरण ना करें तथा हम वादीगण के सालिम कब्जे हिस्से में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें । तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प ग्राम पंचायत रसगण में पेश हुई जिसमें प्रतिवादीगण

उपस्थित आये और उनकी ओर से बाद समझाईश राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन कर दिया जावें । बाद विभाजन दोनों पक्षकारान एक दूसरे की आराजी में दखलन्दाजी नहीं करेगें । विद्धान तहत न्यायालय ने दि0 02.06.2016 को दावा स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी जिस निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दि0 02.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं आये । इसलिए तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने विवादित आराजी के बाबत पूर्व से ही तकसीम का दावा तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें दि0 20.9.2016 की पेशी नियत थी जबकि आलौच्य निर्णय वाली पत्रावली अशरफी बनाम राजोबाई वगैरा तलबी में लगी हुई थी जिसमें अपीलांट की आज तक कोई विधिवत तलबी भी नहीं हुई है । अपीलांट अनपढ़ ग्रामीण महिला है जो कैम्प कोर्ट में अपने दावे में नहीं गई थी । जहां अपीलांट से अंगूठा निशानी लगवाये गये किन्तु अपीलांट के अंगूठा निशानी अपीलांटा के मुकदमे के बजाय अशरफी बनाम राजोबाई में करवा लिये गये जबकि इस मुकदमे में अपीलांटा हाजिर ही नहीं हुई थी तथा न ही अपीलांटा को इस मुकदमे की कोई जानकारी थी ।

आलौच्य निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है जो कि तथाकथित राजीनामा दि0 2.6.2016 के आध्धार पर किया गया है । उक्त राजीनामा निर्धारित प्रारूप में साईक्लोस्टाईल रूप में है जिसमें केवल अपीलांटा राजोबाई के अंगूठा निशानी है तथा रेस्पो0 के कोई अंगूठा निशानी नहीं है तथा न ही वाद में प्रतिवादी सं0 2 मैमूना के कोई दस्तखत या अंगूठा निशानी है जबकि राजीनामा में सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

उन्होंने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि आलौच्य निर्णय में अपीलांट को सुनवाई का कतई कोई अवसर नहीं मिला तथा न ही अपीलांटा की तहत अदालत में मुकदमें में कोई तामील हुई जबकि तहत अदालत को मुकदमे का निर्णय अपीलांट को सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए मैरिट पर करना चाहिए था ।

वास्तविक तथ्य यह है कि विवादित आराजी बंटी हुई है तथा अपीलांट अपने विभाजित हिस्से पर काबिज है, जबकि रेस्पो0 / वादी ने विवादित आराजी को अबट बताया है । ऐसी स्थिति में जब अपीलांट ने मुकदमा किया है तो अपीलांटा अपने मुकदमे के अनुसार व अपने मुकदमे में ही राजीनामा करती और मुकदमे का निर्णय करवाती ।

इसलिए आलौच्य निर्णय कतई मनमाना एवं विधिक व प्रकिया के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है । साथ ही बहस में निवेदन किया कि यह निर्णय राजीनामा की श्रेणी में नहीं आता है । इसमें एक पक्ष के हस्ताक्षर भी नहीं है और न ही यह निर्णय लोक अदालत की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली तथा निर्णय का अवलोकन किया तथा अपील के बिन्दुओं का अवलोकन किया तथा विद्धान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में इस वाद का निर्णय सहमति/समझौते से होना अवगत कराया है परन्तु प्रतिवादी/अपीलांट के अलावा वादी/रेस्पो0 के हस्ताक्षर व उपस्थिति ही नहीं है । चूंकि विवादित आराजी बाबत घोषणा का वाद भी विचाराधीन है । वाद बउनवान असरफी बनाम राजोबाई में तहत अदालत का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 2.6.2016 अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा न ही उनकी विधिवत् तामील करवायी गयी है । इसलिए अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर तहत न्यायालय को प्रदान करना चाहिए था । यदि तहत न्यायालय में एक ही विवादित आराजी के संबंध में दो वाद चल रहे हैं तथा एक घोषणा का वाद है तो उन्हें कन्सोलिडेट करने के संबंध में भी अदालत को विचार करना माना है । दो वाद चल रहे हो तो उनको भी कन्सोलिडेट करना चाहिए था । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 2.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर व जवाब मौका देकर, यदि अन्य वाद के साथ कन्सोलिडेट करने योग्य है तो निर्णय करके पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/12/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर